

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 1981/आश्विन 30, 1903
No. 477] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER. 22, 1981/ĀSVINA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और उर्वरक विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1981

का. आ. 763 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण)
आदेश, 1979 के पैरा 3 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, नीचे मारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट कीमत को उस अधिकतम

कीमत के रूप में नियत करती है जिस पर उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्वदेशी विनिर्मित थोक औषधि का विक्रय किया जाएगा —

सारणी

क्रम संख्या	थोक औषधि का नाम	अधिकतम कीमत रु.
1.	आयोडोक्लोहाईड्राक्सीक्विनोलिन	179.00 प्रति कि. ग्रा.
2.	हेपैरिन सोडियम	700.00 प्रति एम. यू.
3.	मेथोक्सालेन	6700.49 प्रति कि. ग्रा.

[सं. 8 (104)/80-डी 21]

आर. एन. दास, उप-सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Fertilizers)

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1981

S.O. 763 (E). - In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1977, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 3 of the Table below as the maximum price at which each of the indigenously manufactured bulk drugs specified in the corresponding entry in column (2) thereof shall be sold:—

TABLE

Sl. No.	Name of the bulk drug	Maximum price
1	2	3
1.	Iodochlorohydroxyquinoline	179.00 per kg
2.	Heparin Sodium	700.00 per M.U.
3.	Methoxsalen	6700.49 per kg.

[No. 8(104)/80-D.II]

R.N. DAS, Dy. Secy.